

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)
~~मदनलाल~~ बनाम ~~गोपालजी~~
 किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 128 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
<p>28/03/24</p>	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>मदनलाल</u> पिता श्री <u>मोहनलाल भाली वॉरर 6</u> निवासी- <u>ओड़ुन्द</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>ओड़ुन्द</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 804, 805, 806 बीता 8 रकबा 2.54 हे. 322, 323 324 बी. बीता 3 रकबा 2.67 हे. कुल कीता 8+3=11 कुल रकबा 5.2100 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>ओड़ुन्द (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 804, 805, 806, बीता 8 कुल रकबा 2.54 हे. एवं अ. नं. 322, 323, 324 बी. बीता 3 रकबा 2.67 हे. कुल कीता 8+3=11 रकबा 5.2100 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 2000=00 रुपये अक्षरे <u>दो हजार रुपये</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><u>62</u> (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>